

23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र एवं बिहार विधान
सभा का उप निर्वाचन, 2019

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना-800015.

ई-मेल

फोन नं० :- 0612-2217956
फैक्स नं० :- 0612-2215611
ई-मेल :- ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: बी1-3-126/2019- 6904

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 ई०।

प्रेषक,

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
-सह-जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर, किशनगंज, दरभंगा,
सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका।

विषय :- 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54-किशनगंज, 76-सिमरी बख्तियारपुर, 109-दरौदा, 158-नाथनगर एवं 163-बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 - Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2014 - Amendment of Rule 90 of Conduct of Elections Rules, 1961 - Increase in Maximum limit of elections expenses.

प्रसंग:- श्री एन०टी० भूटिया, अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्रांक-3/1/2014/SDR-Vol-III दिनांक 05 मार्च, 2014.

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का संदर्भ किया जाये जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि आयोग के उल्लिखित पत्र में दिये गये अनुदेशों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराया जाये एवं इस पत्र की प्रति संबंधित प्रेक्षक/निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को ससमय उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

26/9/2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक:- बी1-3-126/2019- 6904

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज, निर्वाची पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, निर्वाची पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, सिवान, निर्वाची पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, भागलपुर, एवं निर्वाची पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, बांका को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

26/9/2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांक:- बी1-3-126/2019- 6904

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

26/9/2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापंक:- बी1-3-126/2019-6904

पटना, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 ई०।

प्रतिलिपि :- सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

(बैजूनाथ कुमार सिंह)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

By Speed Post/Email

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No. 3/1/2014/SDR-Vol.-III

Dated: 5th March, 2014

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories

Sub: - Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2014 – Amendment of Rule 90 of Conduct of Elections Rules, 1961 – Increase in maximum limit of election expenses - regarding.


Sir/Madam,

I am directed to send herewith a copy of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Notification No. H-11019(3)/2014-Leg.II dated 28th February, 2014, amending Rule 90 of the Conduct of Elections Rules, 1961 thereby increasing the upper limit of election expenses applicable to candidates at elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies.

This may be brought to the notice of all District Election Officers, Returning Officers and other election authorities concerned and also the State Units of recognized political parties and all registered unrecognized political parties based in your State/ Union Territory for their information.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,



(N.T. BHUTIA)

UNDER SECRETARY

Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department

New Delhi, 28th February, 2014
Phalguna 9, 1935 (Saka)

Notification

S.O. (E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 90, for the existing Table and entries relating thereto, the following Table and the entries shall be substituted, namely:-

"TABLE

Sl.No.	Name of State or Union territory	Maximum limit of election expenses in any one constituency	Parliamentary constituency	Assembly constituency
1	Andhra Pradesh	₹ 70,00,000	3	4
2	Arunachal Pradesh	₹ 54,00,000		
3	Assam	₹ 70,00,000		
4	Bihar	₹ 70,00,000		
5	Goa	₹ 54,00,000		
6	Gujarat	₹ 70,00,000		
7	Haryana	₹ 70,00,000		
8	Himachal Pradesh	₹ 70,00,000		
9	Jammu and Kashmir	₹ 70,00,000		
10	Karnataka	₹ 70,00,000		
11	Kerala	₹ 70,00,000		
12	Madhya Pradesh	₹ 70,00,000		

I. STATES


1	2	3	4
1	Andhra Pradesh	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
2	Arunachal Pradesh	₹ 54,00,000	₹ 20,00,000
3	Assam	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
4	Bihar	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
5	Goa	₹ 54,00,000	₹ 20,00,000
6	Gujarat	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
7	Haryana	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
8	Himachal Pradesh	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
9	Jammu and Kashmir	₹ 70,00,000	-
10	Karnataka	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
11	Kerala	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000
12	Madhya Pradesh	₹ 70,00,000	₹ 28,00,000

1	2	3	4
13.	Maharashtra	70,00,000	28,00,000
14.	Manipur	70,00,000	20,00,000
15.	Meghalaya	70,00,000	20,00,000
16.	Mizoram	70,00,000	20,00,000
17.	Nagaland	70,00,000	20,00,000
18.	Orissa	70,00,000	28,00,000
19.	Punjab	70,00,000	28,00,000
20.	Rajasthan	70,00,000	28,00,000
21.	Sikkim	54,00,000	20,00,000
22.	Tamil Nadu	70,00,000	28,00,000
23.	Tripura	70,00,000	20,00,000
24.	Uttar Pradesh	70,00,000	28,00,000
25.	West Bengal	70,00,000	28,00,000
26.	Chhattisgarh	70,00,000	28,00,000
27.	Uttarakhand	70,00,000	28,00,000
28.	Jharkhand	70,00,000	28,00,000

II. UNION TERRITORIES

1.	Andaman and Nicobar Islands	54,00,000	-
2.	Chandigarh	54,00,000	-
3.	Dadra and Nagar Haveli	54,00,000	-
4.	Daman and Diu	54,00,000	-
5.	Delhi	70,00,000	28,00,000
6.	Lakshadweep	54,00,000	-
7.	Pondicherry	54,00,000	20,00,000

[F.No.H-11019(3)/2014-Leg.II]


 (Dr. Mukulita Vijaywargiya)
 Joint Secretary and Legislative Counsel

Note: The principal rules were published *vide* notification number S.O.859, dated the 15th April, 1961 and last amended *vide* S.O.2470(E), dated the 14th August, 2013.

क्र.सं.	विवरण	1	2	3	4
1.	आरक्ष प्रदक्ष	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
2.	अरक्षण प्रदक्ष	54,00,000	54,00,000	20,00,000	20,00,000
3.	अरक्ष	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
4.	विहार	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
5.	गैरा	54,00,000	54,00,000	20,00,000	20,00,000
6.	गुजरात	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
7.	हरियाणा	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
9.	उत्तरांचल प्रदेश	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
10.	कर्नाटक	70,00,000	70,00,000	28,00,000	28,00,000
1. राज्य		रुपय	रुपय	रुपय	रुपय
1	2	3	4	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	

क्र.सं. राज्य या राज्य-संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

“सारणी”

- (1) इन विधानों का संश्लेष नाम निर्वाचनों का संश्लेषण (संश्लेषण) विधान, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की जाती हैं और प्रत्येक राज्य में प्रकाशित की जाती हैं।
- निर्वाचनों का संश्लेषण विधान, 1961 के विधान 90 में, विधान सभा निर्वाचनों और राज्य निर्वाचनों के संश्लेषण पर निर्वाचन सारणी और प्रविष्टियाँ प्रतीकित की जाती हैं, अर्थात् :-

क.अ. (अ). -केंद्रीय सरकार, लोक निर्वाह विभाग, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के अधिनियम 77 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात्, निर्वाचनों का संश्लेषण विधान, 1961 का और संशोधन करने के लिए निर्वाचन विधान सभा की है।

अधिसूचना


नई दिल्ली, तारीख 28 फरवरी, 2014
फारम 9, 1935 (शक)

भारत सरकार
विधि और न्याय विभाग
विधान विभाग

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित]

1	2	3	4
11.	केरल	70,00,000	28,00,000
12.	मध्य प्रदेश	70,00,000	28,00,000
13.	महाराष्ट्र	70,00,000	28,00,000
14.	मणिपुर	70,00,000	20,00,000
15.	मेघालय	70,00,000	20,00,000
16.	मिजोरम	70,00,000	20,00,000
17.	नागालैंड	70,00,000	20,00,000
18.	उड़ीसा	70,00,000	28,00,000
19.	पंजाब	70,00,000	28,00,000
20.	राजस्थान	70,00,000	28,00,000
21.	सिक्किम	54,00,000	20,00,000
22.	तमिलनाडु	70,00,000	28,00,000
23.	त्रिपुरा	70,00,000	20,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	70,00,000	28,00,000
25.	पश्चिमी बंगाल	70,00,000	28,00,000
26.	छत्तीसगढ़	70,00,000	28,00,000
27.	उत्तराखंड	70,00,000	28,00,000
28.	झारखंड	70,00,000	28,00,000
II. संघ राज्यक्षेत्र			
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	54,00,000
2.	चंडीगढ़	54,00,000
3.	दादरा और नागर हवेली	54,00,000
4.	दमण और दीव	54,00,000
5.	दिल्ली	70,00,000	28,00,000
6.	लक्षदीप	54,00,000
7.	पांडिचेरी	54,00,000	20,00,000" I

[फा.सं.एच-11019(3)/2014- वि.-2]


 (डा० मुकुलिता विजयचारी)
 संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण :- मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. 2470(अ), तारीख 14 अगस्त, 2013 द्वारा किया गया ।